बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 8136 खाद्य, पटना/दिनांक 27/12/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्वीकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । उक्त अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी । जहॉ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहॉ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डो के लिए, पुरूष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी ।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है । उक्त डाटा से पात्र परिवारों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही इनके राशन कार्ड भी मुद्रित हो सके इसके लिए राशन कार्ड में प्रविष्ट होने वाली सूचनाओं का SECC डाटा में समाहित करने एवं एतद संबंधी सॉफ्टवेयर को पर्याप्त रूप से सक्रिय (enable) करने का अनुरोध सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से किया जा चुका है ।

खाद्य सुरक्षा हेतु SECC डाटा के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान करने हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में मानक सिद्धांतों पर राज्य के बुद्धिजीवियों/आम जन से दिनांक 26.12.2013 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया है। इसके आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा Inclusion/Exclusion Criteria को अंतिम रूप देकर दिनांक 31.12.2013 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा । इस संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना SECC का उपयोग करते हुए पात्र परिवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन के साथ–साथ ही Integrated Software के आधार पर इनका राशन कार्ड भी जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा ।

अतः जिलान्तर्गत SECC डाटा के मुद्रण के लिए चयनित मुद्रक से SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के साथ–साथ निर्धारित मापदंड के अनुरूप अपवर्जित (Excluded) परिवार को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में पात्र परिवारों की सूची मुद्रित कराई जाय।

पात्र परिवारों की प्रारूप सूची पर ठीक उसी प्रकार व्यापक प्रचार–प्रसार कर आपत्ति/सुझाव का निष्पादन किया जाय जिस प्रक्रिया का पालन SECC की प्रारूप सूची को अंतिम रूप देने में किया गया है । वैसे जिले जहॉ SECC के प्रारूप प्रकाशन को अंतिम रूप देने हेतु आपत्ति/सुझाव की सुनवाई की जा रही हो वहॉ इसके साथ–साथ पात्र परिवारों की